न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 44/2018
3. उनवान : 1. सीताराम पुत्र हनुमान
2. गोपाल पुत्र हनुमान
जाति अहीर, निवासीगण सरपंच की ढाणी, ग्राम खेडी मिलक, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।

निगरानीकारान

बनाम

1. जगदीश पुत्र हनुमान
2. औंकार पुत्र श्री पूरा राम
3. रामकिशोर पुत्र श्री पूरा राम
4. सुणाराम पुत्र श्री पूरा राम
5. लादूराम पुत्र श्री पूरा राम
6. बद्री पुत्र श्री भूरा राम
7. सीताराम पुत्र श्री भूरा राम
8. बाबूलाल पुत्र श्री भूरा राम
9. सुरेश पुत्र श्री भूरा राम
10. गोपाल पुत्र श्री महादेव
11. सुन्दर लाल पुत्र श्री औंकार
12. लक्ष्मण पुत्र श्री औंकार
13. शंकर लाल पुत्र श्री औंकार
14. कल्याण मल पुत्र श्री औंकार
15. भगवान सहाय पुत्र श्री औंकार
16. रामेश्वर पुत्र श्री मोहन राम
17. कालूराम पुत्र श्री मोहन राम
18. छोटूराम पुत्र श्री देवाराम
19. मालीराम पुत्र श्री रामेश्वर
20. बनवारी पुत्र श्री रामेश्वर
समस्त जाति अहीर, निवासीयान सरपंच की ढाणी, ग्राम खेडीमिलक, तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
21. सचिव ग्राम पंचायत खेडी मिलक, तहसील फुलेरा।
22. सरपंच ग्राम पंचायत खेडी मिलक, तहसील फुलेरा।
23. तहसीलदार तहसील फुलेरा जिला जयपुर।

4. निर्णय दिनांक : 11-07-2023
5. अधिवक्तागणों का नाम :अ) अधिवक्ता श्री भगवान सहाय शर्मा निगरानीकारान की ओर से।
ब) अधिवक्ता श्री मदन लाल कुडी गैर निगरानीकारान की ओर से।

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

निर्णय

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायत राज अधिनियम 1994

संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत खेडीमिलक ने बिना नेयमों की कतई कोई पालना किये ही अनुचित एवं अवैध रूप से रूपाराम पुत्र रामूराम अहीर को पट्टा जारी कर दिया तथा तथाकथित पट्टे की भूमि का विक्रय अप्रार्थी सं. 1 से 15 औंकार सुन्दर लाल वगैरहा को जरिये इकरारनामा कर दिया बताया। पट्टा होल्डर रूपाराम फोत हो चुका है, उसके वारिसान निगरानी में अप्रार्थी सं. 16 से 20 पक्षकार बनाये गये है। सुयोग्य ग्राम पंचायत ने अपना आदेश जारी करने से पूर्व ना तो किसी प्रकार की कोई आपत्ति नोटिस ही जारी किया एव ना ही किसी प्रकार की कोई आपत्ति आमंत्रित की एवं सरपंच ग्राम पंचायत ने मनमाने रूप से बिना ग्राम पंचायत की बैठक में कोई प्रस्ताव लिये बिना कोरम की सहमति लिये पट्टा जेर निगरानी जारी किया है। पट्टा जेर निगरानी से भी यह भलीभांति रूप से स्पष्ट होता है कि सरपंच ग्राम पंचायत ने किस प्रस्ताव से किस दिनांक को किस आज्ञा संख्या से पट्टा जैर निगरानी पारित किया, यह सब पटटे में रिक्त है। तथाकथित आदेश में एवं नक्शे में गलत दिशाएँ दर्ज की गई, जिससे विवाद उत्पन्न हुआ। वास्तविक स्थिति अनुसार उत्तर दिशा में काश्त की भूमि, दक्षिण दिशा में काश्त की भूमि, पूर्व में पूराराम का घर एवं पश्चिम दिशा में हनुमान का उक्त मकान है। अप्रार्थी सं. 1 दिनांक 19.04.2009 को प्रार्थीगण के मकान के सामने निर्माण करने लगे, तब प्रार्थीगण ने ग्राम पंचायत से जाकर पट्टे की जानकारी की तो पट्टे की वास्तविक जानकारी दिनांक 21.04.2009 को नकल मिलने पर हुई। सरपंच ग्राम पंचायत ने आबादी भूमि विक्रय के नियम 255 से 266 की कतई कोई पालना किये बिना ही पट्टा जैर निगरानी पारित किया है, जो निरस्तनीय है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत करने की कोई समयावधि नियत नही की गई है अन्यथा में भी जानकारी की तिथि से यह निगरानी अन्दर मियाद पेश है।

अन्त में निवेदन किया गया है कि पट्टा दिनांक 12.07.1969 ग्रा.प. खेडीमिलक, तहसील फुलेरा को निरस्त फरमावें।

निगरानीकर्ता ने निगरानी के संलग्न प्रार्थना पत्र दफा 5 अवधि अधिनियम भी संलग्न किया है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई तथा नोटिस तलबी जारी किये गये। गैर निगरानीकारान की ओर से अधिवक्ता मदन लाल कूडी का वकालतनामा पेश हुआ।

तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी। निगरानीकार की ओर से अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश की। जिसमें अंकित किया गया है कि ग्राम पंचायत खेडीमिलक ने विना नियमों की कतई कोई पालना किये ही अनुचित एवं अवैध रूप से रूपाराम पुत्र रामूराम अहीर को पट्टा जारी कर दिया तथा तथाकथित पट्टे की भूमि का विक्रय अप्रार्थी सं. 1 से 15 औंकार सुन्दर लाल वगैरह को जरिये इकरारनामा कर दिया बताया। पट्टा होल्डर रूपाराम फौत हो चुका है, उसके वारिसान निगरानी में अप्रार्थी सं. 16 से 20 पक्षकार बनाये गये है। सुयोग्य ग्राम पंचायत ने अपना आदेश जारी करने से पूर्व ना तो किसी प्रकार की कोई आपत्ति नोटिस ही जारी किया एव ना ही किसी प्रकार की कोई आपत्ति आमंत्रित की एवं सरपंच ग्राम पंचायत ने मनमाने रूप से बिना ग्राम पंचायत की बैठक में कोई प्रस्ताव लिये बिना कोरम की सहमति लिये पट्टा जेर निगरानी जारी किया है। सरपंच ग्राम पंचायत ने किस प्रस्ताव से किस दिनांक को किस आज्ञा संख्या से पट्टा जैर निगरानी पारित किया, यह सब पटटे में रिक्त है। तथाकथित आदेश में एवं नक्शे में गलत दिशाएं दर्ज की गई, जिससे विवाद उत्पन्न हुआ। वास्तविक स्थिति अनुसार उत्तर दिशा में काश्त की भूमि, दक्षिण दिशा में काश्त की भूमि, पूर्व में पूराराम का घर एवं पश्चिम दिशा में हनुमान का उक्त मकान है। अप्रार्थी सं. 1 दिनांक 19.04.2009 को प्रार्थीगण के मकान के सामने निर्माण करने लगे, तब प्रार्थीगण ने ग्राम

अतिरिक्त कलक्टर
(पूर्व) जयपुर

पंचायत से जाकर पट्टे की जानकारी की तो पट्टे की वास्तविक जानकारी दिनांक 21.04.2009 को नकल मिलने पर हुई। सरपंच ग्राम पंचायत ने आबादी भूमि विक्रय के नियम 255 से 266 की कतई कोई पालना किये बिना ही पट्टा जैर निगरानी पारित किया है, जो निरस्तनीय है। अतः निगरानी स्वीकार कर पट्टा दिनांक 12.07.1969 ग्रा.प. खेडीमिलक, तहसील फुलेरा को निरस्त फरमावें।

गैरनिगरानीकारान के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि निगरानीधीन पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की पालना के पश्चात खोला गया है, जिसकी जानकारी निगरानीकर्तागण को प्रारम्भ से थी। फिर भी निगरानीकर्ता द्वारा इतने लम्बे समय बाद निगरानी दायर की गई। निगरानीकर्ता द्वारा जानबूझकर आबादी भूमि के पुराने चालू रास्ते को अवरूद्ध किया जा रहा है। जिसका सीमाज्ञान पूर्व में किया जा चुका है तथा कदीमी रास्ता होना अंकित किया गया है। ग्राम पंचायत क रिपोर्ट पत्रावली संलग्न है। उक्त रास्ते पर निगरानीकर्ता द्वारा निर्माण किया जा रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा 251 के तहत रास्ता खुलवाने हेतु आदेश जारी किये गये किन्तु पालना नहीं हो सकी। यह रास्ता आमजन का रास्ता है। उक्त के संबंध में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, चतुर्थ में अपील दायर की गई, जिसे दिनांक 28.09.2012 को ग्राम पंचायत को रिमाण्ड कर दिया गया। निगरानीकर्ता ने निगरानी गैरनिगरानीकारान को हैरान परेशन करने की गरज से दायर की है। अतः निगरानी सारहीन एवं तथ्यहीन होने के कारण खारिज योग्य है।

सरकार पैरोकार ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा नियमों के अधीन एवं विधिक प्रकिया का पालन कर नियमानुसार खोला गया है। सुनवाई का समुचित अवसर निगरानीकर्ता को दिया गया है। सूचित होने के उपरान्त व सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद ही निर्णय पारित किया गया है। अतः निगरानी सारहीन एवं तथ्यहीन होने के कारण खारिज योग्य है।

हम निगरानीकार की निगरानी, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि निगरानीकार द्वारा निगरानी लगभग 40 वर्ष बाद पेश की गई है जिसके विलम्ब का कोई ठोस एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। इसलिए निगरानी मियाद बाहर होने से स्वीकार योग्य ज्ञात नहीं होती है।

निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी में कथन किया है कि पंचायत द्वारा उनकी कब्जेशुदा भूमि पर गलत दिशा दर्ज कर पट्टा जारी कर दिया है जबकि निगरानीकार द्वारा स्वयं की भूमि, कब्जे तथा पंचायत के पट्टे बाबत कोई साक्ष्य, सबूत तथा दस्तावेज पेश नहीं किये हैं। इसलिए प्रस्तुत निगरानी विचारणीय ज्ञात नहीं होती है।

गैर निगरानीकार ग्राम पंचायत द्वारा अपने पत्रों/कथनों में पट्टा गलत होने बाबत कोई कथन नहीं किया है। इसलिए निगरानी सारवान ज्ञात नहीं होती है। साथ ही पट्टे में दिशाएं गलत लिखने से पट्टा अवैध भी नही माना जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार की निगरानी सारहीन होने एवं तथ्यपरक नहीं होने तथा दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11-07-2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।